आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
	शस्त्रवाद संख्या 103/2014	

सारण समाहरणालय, छपरा।

न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।

जिला विधि प्रशाखा

अमित कुमार सिंह, पिता- कृष्ण कन्हैया सिंह, सा0-सोनपुर, थाना-सोनपुर, जिला-सारण

आदेश

18/12/2014

प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5402/गो0 7.12.14 के द्वारा प्रेषित आवेदक अमित कुमार सिंह, पिता-कृष्ण कन्हैया सिंह, सा0-सोनपुर, थाना-सोनपुर, जिला-सारण के द्वारा एक एस.बी.बी.एल. गन, एक रायफल एवं एक रिवॉल्वर के लिए तीन आवेदन प्रेषित किया गया है। इनके साथ पुलिस प्रतिवेदन एवं अन्य प्रतिवेदन भी संलग्न है।

आवेदक के द्वारा दिए गए एस.बी.बी.एल. गन के आवेदन पर जॉचोपरान्त थानाध्यक्ष, सोनपुर के ज्ञापांक डी.आर. 1539 दिनांक 23.11.14, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर का ज्ञापांक 2831 दिनांक 23.11.14, अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 586 दिनांक 1.12.14 एवं पत्रांक 592 दिनांक 4.12.14 एवं अंचलाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 1682 दिनांक 2.12.14 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन को पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5402/गो0 दिनांक 7.12.14 के द्वारा संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया।

आवेदक के द्वारा दिए गए रायफल के आवेदन पर जॉचोपरान्त थानाध्यक्ष, सोनपुर के ज्ञापांक डी.आर. 1538 दिनांक 23.11.14, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर का ज्ञापांक 2831 दिनांक 23.11.14, अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 584 दिनांक 1.12.14 एवं पत्रांक 594 दिनांक 4.12.14 एवं अंचलाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 1683 दिनांक 2.12.14 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन को पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5402/गो0 दिनांक 7.12.14 के द्वारा संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया।

आवेदक के द्वारा दिए गए रिवॉल्वर के आवेदन पर जॉचोपरान्त थानाध्यक्ष, सोनपुर के ज्ञापांक डी.आर. 1540 दिनांक 23.11.14, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर का ज्ञापांक 2831 दिनांक 23.11.14, अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक

585 दिनांक 1.12.14 एवं पत्रांक 593 दिनांक 4.12.14 एवं अंचलाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 1681 दिनांक 2.12.14 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन को पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5402/गो0 दिनांक 7.12.14 के द्वारा संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया।

दिनांक 11.12.14 को आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गयी एवं अभिलेख में संधारित पुलिस जॉच प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया गया।

आवेदक के द्वारा बताया गया कि उन्हें व्यवसाय के सिलसिले में लखीसराय, दालकोला, गया, रॉची इत्यादि टॉल प्लाजा पर जाना पड़ता है। कुछ वर्षों से इनके द्वारा टॉल प्लाजा की वसूली का कार्य किया जा रहा है, जिसका सलाना टर्न ओवर करोड़ों में है। इनके फर्म का नाम अमित इंटरप्राइजेज, अमितेका इन्फ्राकॉन प्रा0लि0, आर्या टौलवेज है। इसलिए अपने जानमाल पर खतरे की आशंका को देखते हुए शस्त्र की अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि पुलिस प्रतिवेदन में आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन अंकित नहीं है, इसलिए पुलिस अधीक्षक, सारण से स्पष्ट प्रतिवेदन की मॉग की गयी, जिसके आलोक में पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5584 दिनांक 18.12.14 के द्वारा थानाध्यक्ष, सोनपुर के ज्ञापांक डी.आर. 1343 दिनांक 18.12.14 एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर के ज्ञापांक डी.आर 3036 दिनांक 18.12.14 के द्वारा निर्गत प्रतिवेदन को संलग्न कर अनुशंसा के साथ प्रेषित किया गया है।

पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक के द्वारा पिछले कुछ वर्षों से टॉल प्लाजा में वसूली का कार्य किया जा रहा है। इनके फर्म का नाम अमित इंटरप्राइजेज, अमितेका इन्फ्राकान प्रा.लि., आर्या टॉलवेज है। इन्हें व्यवसाय के सिलसिले में अक्सर बाहर जाना पड़ता है। इस कम में इनके जीवन पर खतरे की संभावना बनी रहती है। आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका को देखते हुए शस्त्र की अनुज्ञप्ति प्रदान करने की अनुशंसा की गयी है।

अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका व्यक्त की गयी है। आवेदक के उपर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार थानाध्यक्ष, सोनपुर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर, अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर एवं पुलिस अधीक्षक, सारण के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा से संतुष्ट होकर आवेदक के जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2–ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय,

भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक अमित कुमार सिंह, पिता–कृष्ण कन्हैया सिंह, सा0–सोनपुर, थाना–सोनपुर, जिला–सारण को सम्पूर्ण बिहार क्षेत्र में वैधता के साथ एक रिवॉल्वर की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वाद निष्पादित

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 14/न्या0 दिनांक 05/01/2015

प्रतिलिपि – पुलिस अधीक्षक, सारण / जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सारण / DIO, NIC, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

05/1/15